न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 44/2018

1. राजेश कुमार पुत्र किशनकुमार जाति अग्रवाल निवासी कलाना त0 भादरा हाल निवासी सिरसा ।

:– वादी

ब ना म

1. किशनकुमार पुत्र नोरंगराय जाति अग्रवाल निवासी कलाना त0 भादरा।
2. विजयकुमार पुत्र किशनकुमार जाति अग्रवाल निवासी कलाना त0 भादरा।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशनकुमार जाति अग्रवाल निवासी कलाना त0 भादरा।
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र किशनकुमार जाति अग्रवाल निवासी कलाना त0 भादरा।
5. ओबीसी बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राजेन्द्र गोयल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही ... खाता सं0 88/191 के खसरा सं0 119/2 की 2.530है0 खसरा सं ... की 2.397है0 कुल 4.927है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 किशनकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 किशनकुमार की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी राजेशकुमार व प्रतिवादी सं 1 किशनकुमार प्रतिवादी सं 2 विजयकुमार प्रतिवादी सं 3 सुरेन्द्रकुमार प्रतिवादी सं 4 नरेन्द्रकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.03.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:19:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 44/2018

1. राजेश कुमार पुत्र किशनकुमार जाति अग्रवाल निवासी कलाना त0 भादरा हाल निवासी सिरसा ।

:– वादी

ब ना म

1. किशनकुमार पुत्र नोरंगराय जाति अग्रवाल निवासी कलाना त0 भादरा।
2. विजयकुमार पुत्र किशनकुमार जाति अग्रवाल निवासी कलाना त0 भादरा।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशनकुमार जाति अग्रवाल निवासी कलाना त0 भादरा।
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र किशनकुमार जाति अग्रवाल निवासी कलाना त0 भादरा ।
5. ओवीसी बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी: वादीगण
वकील श्री राजेन्द्र गोयल : प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक : 17.03.21**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 88/191 के खसरा सं0 119/2 की 2.530है0 खसरा सं0 119/3 की 2.397है0 कुल 4.927है0 वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 किशनकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा नोरंगराय की खातेदारी हुआ करती थी। नोरंगराय के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 किशनकुमार ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ [illegible] गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर वादी [illegible] किया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरांत वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 ने आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं 5 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से बार बार अवसर देने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:19:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 राजेशकुमार पुत्र किशनकुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कलाना संवत 2074–77 प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही कलाना संवत 2042 प्रदर्श 2 वारिसान बावत शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कलाना संवत 2074–77 प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही कलाना संवत 2042 प्रदर्श 2 वारिसान बावत शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण बाबत शपथ पत्र के अनुसार किशनकुमार के चार पुत्र राजेशकुमार, विजयकुमार, सुरेन्द्रकुमार व नरेन्द्रकुमार तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 88/191 के खसरा सं0 119/2 की 2.530है0 खसरा सं0 119/3 की 2.397है0 कुल 4.927है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 किशनकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 किशनकुमार की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी राजेशकुमार व प्रतिवादी सं 1 किशनकुमार प्रतिवादी सं 2 विजयकुमार प्रतिवादी सं 3 सुरेन्द्रकुमार प्रतिवादी सं 4 नरेन्द्रकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-03-21........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by SatyaNarayan
Date: 2021.04.08 11:19:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner